डॉ0 साहेब दूबे
कार्यक्रम समन्वयक

राष्ट्रीय सेवा योजना

जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया

मो0नं0 :–9452081115
E-mail :
dubey4045@gmail.com

पत्रांक : 66 / रा0से0यो0ज0च0वि0,बलिया / 2019 दिनांक : 08.05.2019

आवश्यक सूचना

विश्वविद्यालय से सम्बद्ध समस्त महाविद्यालय के सम्मानित प्राचार्यों को सूचित किया जाता है कि सत्र–2019–20 से जो महाविद्यालय राष्ट्रीय सेवा योजना का नई इकाई आवंटन चाहते हैं, वे निश्चित प्रारूप को पूरित कर आवश्यक पत्रजात के साथ राष्ट्रीय सेवा योजना कार्यालय जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया को दिनांक 25.05.2019 तक आवेदन प्रेषित करने का कष्ट करें।

कुलसचिव
जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय
बलिया (उ0प्र0)

डॉ0 (साहेब दूबे)
कार्यक्रम समन्वयक

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मा0 कुलपति जी।
2. कुलसचिव।
3. प्राचार्य / प्राचार्य सम्बद्ध महाविद्यालय।
4. उपकुलसचिव को वेबसाइट एवं कालेज लॉगिन हेतु ।

डॉ0 (साहेब दूबे)
कार्यक्रम समन्वयक

Scanned by CamScanner

संख्या–189/ सत्तर–रा०से०यो०...

प्रेषक,

ए०के० गोयल,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1–कुलसचिव,
राष्ट्रीय सेवा योजना से संबंधित समस्त विश्वविद्यालय, उ०प्र०

2–कार्यक्रम समन्वयक,
राष्ट्रीय सेवा योजना से संबंधित समस्त विश्वविद्यालय, उ०प्र०

3–उप शिक्षा निदेशक,
(समस्त मण्डल), माध्यमिक शिक्षा, उ०प्र०।

4–क्षेत्रीय संयुक्त निदेशक,
प्राविधिक शिक्षा, उ०प्र०।

उच्च शिक्षा (राष्ट्रीय सेवा योजना कोष्ठक) विभाग लखनऊ: दिनांक 26 अगस्त, 2015

विषय–राष्ट्रीय सेवा योजना की नई इकाइयों के आवंटन के संबंध में आवश्यक दिशा–निर्देश।

महोदय,

कृपया राष्ट्रीय सेवा योजना से संबंधित नई इकाइयों के आवंटन के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि केन्द्र सरकार द्वारा अनुदानित इकाइयों की संख्या का स्थिरीकरण कर दिया गया है एवं एन०एस०एस० की गतिविधियों की मासिक आख्या ई–मेल के माध्यम से प्रेषित करना भी अनिवार्य कर दिया गया है। शासन द्वारा अनुश्रवण एवं मूल्यांकन को अधिक प्रभावी बनाया जा रहा है। अतः इकाइयों के प्रस्तावों के अग्रसारण से पूर्व निम्नांकित बिन्दुओं के अनुसार कार्यवाही करने का कष्ट करें–

(1) विशेष शिविरों के आयोजन की सूचना शिविर प्रारम्भ होने की तिथि से 15 दिन पूर्व पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट से शासन को प्रेषित नही करने की दशा में भविष्य में इकाइयों का आवंटन सम्भव नहीं होगा।

(2) एक बार आवंटन किये जाने पर भविष्य में इकाइयों की उपलब्धता के आधार पर ही पुरानी कार्यरत इकाइयों का आवंटन/इकाइयाँ बढ़ाना सम्भव होगा।

(3) भारत सरकार के निर्देशानुसार सभी इकाइयों की गतिविधियों की मासिक/वार्षिक रिपोर्टिंग ई–मेल/डाक के माध्यम से एन०एस०एस० प्रकोष्ठ उ०प्र० शासन व क्षेत्रीय निदेशक, राष्ट्रीय सेवा योजना को प्रेषित करना अनिवार्य होगा। नियमित रिपोर्टिंग न करने वाली इकाइयों को भविष्य में निरस्त कर दिया जायेगा।

(4) इकाइयों की निरन्तरता बनाये रखने के लिए विशेष शिविर के आयोजन के 15 दिन के भीतर शिविर की कम से कम 21 पेज की रिपोर्ट कार्यक्रम समन्वयक को प्रेषित करना अनिवार्य है, जिसमें प्रत्येक दिवस की गतिविधियों की हार्ड कापी कार्यक्रम समन्वयक व साफ्ट कापी शासन को प्रेषित करना अनिवार्य है।

(5) कार्यक्रम समन्वयकों द्वारा उतनी ही इकाइयाँ बढ़ाने का प्रस्ताव किया जाय जितनी काटने की संस्तुति की गयी है। इकाई काटने की संस्तुति का तार्किक आधार होना चाहिए।

(6) इकाइयों की गतिविधियों के आधार पर इकाइयाँ काटने एवं महाविद्यालयों/विद्यालयों को नोटिस जारी कर शासन को सूचित किया जाना चाहिए।

Scanned by CamScanner

कार्यक्रम समन्वयक/उप शिक्षा निदेशक/क्षेत्रीय संयुक्त निदेशक उन्हीं महाविद्यालयों/विद्यालयों के प्रस्ताव नई इकाइयों हेतु अग्रसारित करें जिनको पूर्व का समाज सेवा का पर्याप्त अनुभव हो। इस हेतु आवेदन प्रस्ताव के साथ विगत 03 वर्षों की गतिविधियों के संबंध में अभिलेख साक्ष्यों सहित संलग्न होना आवश्यक है। यथा-

- ➢ महाविद्यालय द्वारा आयोजित रक्तदान शिविरों की संख्या एवं शिक्षक, छात्र-छात्राओं द्वारा किये गये वास्तविक रक्तदान यूनिटस की संख्या (पुष्टि हेतु ब्लड-बैंक का प्रमाण-पत्र संलग्न करें)
- ➢ राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार की विभिन्न सामाजिक सुरक्षा की योजनाओं में महाविद्यालयों के छात्र/छात्राओं एवं शिक्षकों का योगदान जैसे-समाजवादी पेंशन योजना, कन्या विद्याधन, बालिका समृद्धि, जननी सुरक्षा, किसान पेंशन, आर०टी०ई० के तहत गरीब बच्चों का विद्यालयों में प्रवेश, स्वच्छता अभियान, वृक्षारोपण, समेकित वाटरशेड प्रबन्धन कार्यक्रम, बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ, साक्षरता, क्लीन एण्ड ग्रीन यू०पी०, जल संरक्षण, मतदाता जागरूकता अभियान, वृद्धों, महिलाओं एवं अनाथ बच्चों के लिये किये गये कार्य (पुष्टि हेतु फोटोग्राफ, न्यूज पेपर कटिंग एवं सरकारी अधिकारियों द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र संलग्न करें)।
- ➢ संस्था के प्राचार्य का इस आशय का प्रमाण-पत्र कि एन०एस०एस० को पर्याप्त संसाधन उपलब्ध करायेंगे एवं प्रशिक्षण/शिविरों/नियमित कार्यक्रमों हेतु कार्यक्रम अधिकारियों को नियमित रूप से भेजेंगे। प्रमाण-पत्र में यह भी उल्लेख होना चाहिए कि गतिविधियों के संबंध में प्रदत्त की गयी जानकारी पूर्णतया सत्य है और यदि वह गलत पायी जाती है तो शासन द्वारा उनके विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी।

भवदीय,
/
(ए०के० गोयल)
संयुक्त सचिव।

संख्या-139(1)/सत्तर-रा०से०यो०क०-2015, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. डा० अशोक कुमार श्रोती, क्षेत्रीय निदेशक, भारत सरकार, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, राष्ट्रीय सेवा योजना क्षेत्रीय निदेशालय, केन्द्रीय भवन, आठवां तल, हाल नं०-1 सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ।
2. समन्वयक, इम्पैनल्ड प्रशिक्षण केन्द्र, रा०से०यो०, सेंट जान्स कालेज, आगरा।
3. समन्वयक, इम्पैनल्ड प्रशिक्षण केन्द्र, रा०से०यो०, दीन दयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर।
4. निदेशक, इण्डियन लिटरेसी बोर्ड (इम्पैनल्ड प्रशिक्षण केन्द्र), लिटरेसी भवन, कानपुर रोड, लखनऊ।
5. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(अनुमति शर्मा)
विशेष कार्याधिकारी एवं
राज्य सम्पर्क अधिकारी।

प्रारूप–II

वर्ष 2019–20 में नई संस्थाओं के अन्तर्गत राष्ट्रीय सेवा योजना की इकाईयों का आवंटन

महाविद्यालय/माध्यमिक शिक्षा मण्डल/प्राविधिक शिक्षा क्षेत्र/जोन का नामः

क्र0 सं0	विश्वविद्यालय/परिसर महाविद्यालय/माध्यमिक विद्यालय/पालिटेक्निक संस्था का नाम	शासन द्वारा महाविद्यालय की मान्यता प्रदान करने का वर्ष (मान्यता प्रति की प्रतिलिपि भी संलग्न करें)	वर्तमान वर्ष में अध्ययनरत् छात्रों की संख्या स्नातक /पालिटेक्निक संस्था			
			वर्ष	स्नातक/पालिटेक्निक संस्था		
				प्रथम वर्ष	द्वितीय वर्ष	योग
1	2	3	4	5	6	7
			2016–17			
			2017–18			
			2018–19			

राष्ट्रीय सेवा योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित छात्र संख्या	राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई आवंटन कराये जाने का औचित्य (अधिकतम 30 शब्दों में)
7	8

वर्तमान वर्ष में विश्वविद्यालय परिसर, महाविद्यालय स्तर पर स्नातक प्रथम व द्वितीय वर्ष, पालिटेक्निक कालेज में प्रथम वर्ष व द्वितीय वर्ष तथा माध्यमिक शिक्षा स्तर पर कक्षा–11 व 12 में अध्ययनरत् विद्यार्थियों की वास्तविक संस्था अंकित की जाय। अध्ययनरत् छात्रों की संख्या का सत्यापन विश्वविद्यालय परिसर/महाविद्यालय स्तर पर कुलसचिव, पालिटेक्निक संस्था स्तर पर क्षेत्रीय संयुक्त निदेशक, माध्यमिक शिक्षा कालेज स्तर पर जिलि विद्यालय निरीक्षक द्वारा किया जाय।

प्रमाणित किया जाता है कि मेरी जानकारी एवं विश्वास में उपर्युक्त सभी सूचनायें पूर्णतः सत्य है तथा उपर्युक्त कालम संख्या–6 में प्रमाणित छात्र संख्या केक अनुसार सम्बन्धित शिक्षण संस्था योजना के सुचारू संचालन के लिए आवश्यक संरचनात्मक सुविधायें तथा निर्धारित समयावधि में प्रशिक्षित कार्यक्रम अधिकारी उपलब्ध कराने के साथ–साथ शासन तथा भारत सरकार के दिशा–निर्देशों के अक्षरशः पालन के लिए वचनबद्ध हैं।

दिनांक :.....
स्थान :.....

अध्ययनरत् छात्रों की संख्या सत्यापित
हस्ताक्षर–प्राचार्य
(सील सहित)

संलग्नक–स्ववित्तपोषित कालेज की मान्यता प्राप्ति की सत्यापित छायाप्रति।

हस्ताक्षर–विश्वविद्यालय स्तर पर कुलसचिव/
माध्यमिक कालेज स्तर पर जिला विद्यालय निरीक्षक/
पालिटेक्नि संस्था स्तर पर क्षेत्रीय संयुक्त निदेशक,
प्राविधिक शिक्षा (सील सहित)

(उक्त प्रपत्र विशेष कार्याधिकारी एवं राज्य सम्पर्क अधिकारी, उच्च शिक्षा राष्ट्रीय सेवा योजना कोष्ठक (विभाग बहुखण्डीय भवन, उ0प्र0 सचिवालय, लखनऊ को सीधे भेजा जाय।)

Scanned by CamScanner